

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रूपनगढ़, जिला-अजमेर

बाबूलाल

बनाम

कालूराम

नाम्बर 35 वर्ष-2024

किस्म मुकदमा- धारा 188, 209 रा0का0अधि0

तारीख दृश्य	दृश्य या कार्यवाही मय इतिहास जज	नंबर व तारीख अदालत जो इस दृश्य की तारीख में जारी हुए
08.07.2024	<p>यह याद पत्र वादी की ओर से वकील श्री अरविन्द दत्त जी ने अदालत धारा 188, 209 रा0का0अधि0 के तहत पेश किया। याद-पत्र के साथ संलग्न दरतावेजात का अवलोकन किया गया। याद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 21.08.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p> <p>2)-8-24 वा. एसो. स्टेशन पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्चकारण उप. P.O. साहब टोरे/अबकाश बा बबारे है। अतः पत्रावली पूर्व अदालतानुसार दिनांक 30-10-24 को पेश हो।</p> <p>4-9-24 वादी की ओर से प्रार्थना-पत्र वास्ते धारा 151 सी. पी. सी. के तहत राजस्व वाद को विद्वा करने का बत तथा नये तथ्यों के साथ पुनः राजस्व वाद उस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का बत पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी। उक्त प्रार्थना-पत्र पर वादी एवं वकील वादी को सुना गया। तदनुसार उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी स्वयं उपस्थित। वादी ने पहचान स्व रूप आधार कार्ड सं. 658089292540 की स्व-प्रमाणित प्रति पेश की। वादी की पहचान वकील वादी द्वारा की गयी।</p> <p>चूंकि वादी उक्त राजस्व वाद को विद्वा करना चाहता है, अतः उक्त राजस्व वाद को जरिये विद्वालय म्बारेज किया जाता है। पत्रावली फैसल. शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	<p>अंश 61 बाबूलाल</p> <p>Sir, Talukdar by me</p> 